राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
पंचायती राज

क्रमांक : एफ.165( )परावि/ले.ब./एफ.एफ.सी/2019–20/ जयपुर,दिनांकः

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद–समस्त।

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति समस्त।

विषयः–14वें केन्द्रीय वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में सामान्य बुनियादी अनुदान की द्वितीय किश्त की राशि पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरण के संबंध में।
संदर्भः– वित्त विभाग (आय–व्ययक अनुभाग) की स्वीकृति संख्या 10080/2019–20 दिनांक 11.11.2019 एवं विभागीय प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 24/2019–20 दिनांक 09.11.2019 के कम में।

विषयान्तर्गत संदर्भित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के कम में लेख है कि 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 की सामान्य बुनियादी अनुदान की द्वितीय किश्त राशि रू. 184050.50 लाख वित्त विभाग के निर्देशानुसार पंचायत समितियों के पी.डी. खातें मे हस्तान्तरित की गई है। पंचायत समितियों की अधीनस्थ पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों) को देय अनुदान राशि का विवरण संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

उक्त प्रकरण अन्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि पंचायत समितियों के पी. डी. खातों में 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 की सामान्य बुनियादी अनुदान की द्वितीय किश्त की राशि **संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में अनिवार्य रूप से हस्तान्तरित** किया जाकर अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

हस्ता0
(डॉ. आरूषी मलिक)
विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

क्रमांक : एफ.165( )परावि/ले.ब./एफ.एफ.सी/2019–20/3488 जयपुर,दिनांकः 19-11-2019
प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग।
3. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(हरिसिंह मीणा)
वित्तीय सलाहकार